S.D.O. Pali

11.06.2019

सरकारी पैरोकार उप.।
वकील अप्रार्थी उप.।
मूल वाद अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट का खारीज किया गया है। अतः मूल वाद के अभाव में स्थगन प्रा. पत्र नहीं चल सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट का खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner